(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सार्वजनिक सूचना सं0 34 /(आर ईः 2010)/ 2009-2014
दिनांक 25 फरवरी, 2011

विषयः- सार्वजनिक सूचना सं0 33/(आर ई 2010)2009-14 दिनांक 15.02.2011 और 2/(आर ई 2010)2009-14 दिनांक 23.08.2010 में शुद्धियाँ ।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, सार्वजनिक सूचना सं0 33/(आर ई 2010)2009-14 दिनांक 15.02.2011 और सार्वजनिक सूचना सं0 2/(आर ई 2010)2009-14 दिनांक 23.08.2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

1. सार्वजनिक सूचना 33/(आर ई 2010)2009-14 दिनांक 15.02.2011 की क्रम सं0 1 में क्रम सं0 और वी के जी यू वाई उत्पाद कोड 4, 5, और 6 को ठीक करके क्रमशः ''7, 8, और 9'' पढ़ा जाएगा । सार्वजनिक सूचना 33/(आर ई 2010)2009-14 दिनांक 15.02.2011 के क्रम सं0 1 में शामिल किए जाने के प्रभाव में दिया गया ''दो'' शब्द भी हटा दिया गया है ।

2. सार्वजनिक सूचना 33/(आर ई 2010)2009-14 दिनांक 15.02.2011 द्वारा अधिसूचित परिशिष्ट 37घ की तालिका 4 में क्रम सं0 186 और 187 हटा दिए गए हैं ।

3. सार्वजनिक सूचना 2/(आर ई 2010)2009-14 दिनांक 23.8.2010 द्वारा अधिसूचित परिशिष्ट 37घ की तालिका 4 की क्रम सं0 147 में आई टी सी एच एस कोड 29171300 के मद्दे विवरण ''सेवासिक एसिड/2 ऑक्टानॉल'' को ठीक करके ''सेवासिक एसिड'' पढ़ा जाएगा ।

ये शुद्धियाँ क्यों आवश्यक हो गई थीं, इसके कारणः

* उपर्युक्त क्रम सं0 1 में क्रम संख्याओं और वी के जी यू वाई उत्पाद कोड में क्रमांकन में अनजाने में हुई गलतियों को सही किया गया है ।

* उपर्युक्त क्रम सं0 2 में उत्पाद, सार्वजनिक सूचना 30/2009-14 दिनांक 12.01.2010 द्वारा परिशिष्ट 37घ की तालिका 4 के क्रम सं0 96 और 97 के रुप में पहले ही शामिल थे (1.2.2010 के बाद से किए गए निर्यातों पर 2 प्रतिशत एफ पी एस लाभों के लिए पात्र) और उसके अतिरिक्त सार्वजनिक सूचना सं0 2/(आर ई 2010)/2009-14 दिनांक 23.08.2010 द्वारा परिशिष्ट 37घ की तालिका 7 में क्रम सं0 153 और 154 पर दिए गए बोनस लाभ प्रदान किए गए थे (1.4.2010 के बाद से किए गए निर्यातों पर 2%+2% = 4% एफ पी एस लाभ के लिए पात्र) । इन प्रविष्टियों की पुनरावृत्ति अनावश्यक थी, अतः ये प्रविष्टियाँ हटा दी गई हैं ।

* उपर्युक्त प्रविष्टि क्रम सं0 3, सार्वजनिक सूचना सं0 2/(आर ई 2010)/2009-14 दिनांक 23.08.2010 द्वारा अधिसूचित उत्पाद के विवरण में शुद्धि है । आई टी सी एच एस कोड 2917300 का सम्बन्ध केवल ''सेबासिक एसिड'' से है और इसलिए इसे एफ पी एस लाभ उपलब्ध होंगे । इस प्रविष्टि में ''2-आक्टानॉल'' का उल्लेख अनजाने में हो गया था, अतः इसे हटाने की आवश्यकता है ।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेल : dgft@nic.in

(फाइल सं0 01/91/180/983/एएम 11/पी सी-3 से जारी)